

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 447]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 सितम्बर 2013—आश्विन 1, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. एफ 24-20-2008-एक-10.—राज्य शासन, एतद्द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, न्यायमूर्ति श्री एस. एस. झा के एकल सदस्यीय जांच आयोग के गठन के संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 8 अक्टूबर, 2008 में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना क्र. एफ 24-20-2008-एक-10, दिनांक 8 अक्टूबर, 2008 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की कंडिका 3 में, शब्द “छः मास” के स्थान पर, शब्द “छः वर्ष” स्थापित किए जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. एफ 24-20-2008-एक-10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की उक्त समसंख्यक अधिसूचना क्र. एफ 24-20-2008-एक-10, दिनांक 23 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd September 2013

No. F. 24-20-2008-I-10.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Enquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952), the State Government hereby makes the following amendment in this Department's Notification No. 24-20-2008-I-10, dated 8th October 2008, regarding appointment of the one man Commission of Enquiry of Shri Justice S. S. Jha, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in para 3, for the words "six months" the words "Six years" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH KOUL, Dy. Secy.